**ई-मेल**

**अतिमहत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता**

**संख्या- 99/2024/1919/2024/16-3099/12/2019**

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3** **लखनऊ** **दिनांक- 04 सितम्बर, 2024**

विषय- प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-867/संप्रपप/परी0अनु0-(शा0संशो0)/2024, दिनांक 04.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के संबंध में आपके पत्र संख्या-867/संप्रपप/परी0अनु0-(शा0संशो0)/2024, दिनांक 04.09.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था में निम्नवत् विवरणानुसार संशोधन किया जाता हैः-

| शासनादेश संख्या-116/2023/आई/ 459155/2023/ 16-3099/12/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c में निहित व्यवस्था | शासनादेश संख्या-116/2023/आई/ 459155/ 2023/ 16-3099/12/2019 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर 10 के बिन्दु संख्या (III) a,b,c की संशोधित व्यवस्था |
|---|---|
| a) अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू0 3000/- एवं रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात् कुल रू0 3250/- ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।<br><br>b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर | सत्र 2024-25 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित डिप्लोमा इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों की दिनांक 05.09.2024 से 13.09.2024 के मध्य निर्धारित छठें चरण की काउन्सिलिंग एवं अन्य आगामी चरण (फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) की काउन्सिलिंग द्वारा राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/-काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

| | |
|---|---|
| सीट एक्सेपटेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा।<br><br>c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे। | समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा। |

3. उपर्युक्त सीमा तक उक्त शासनादेश संख्या-116/2023/आई/459155/2023/16-3099/12/ 2019 दिनांक 29.12.2023 को संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिंल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
9. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक/डिप्लोमा संस्थाएं (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in